




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डू

बनाम

सुकरा गुप्ता वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अगिलेख सं०-एन... 33 / 2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं०-06/18 दिनांक-14-05-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि स्वता शेरमा 164 प्लॉट नं० 620 कुल रकवा 1.02 एकड़ रमन को लेकर समय पत्र में विवाद है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति दुबका होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति दुबका हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि 11-05-18 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div> <p align="center">अभिलेख उपस्थापित / समय पत्र अभिलेखित / दिनांक 28-05-18 की शर्तें)</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  11/5/18 </div>	

11-05-18

दिनांक

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

26-10-18

आमितीरण उपस्थापित । प्रथम पत्र अधिवक्ता हाजरी दितीप पत्र क्रमांक 02,04 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी । प्रथम पत्र की जोर से जवाब दाखिल किया गया । दितीप पत्र जवाब दाखिल की दिनांक 05-11-18 को रखे ।


26/10/18

05-11-18

आमितीरण उपस्थापित । प्रथम पत्र अधिवक्ता हाजरी । दितीप पत्र क्रमांक 01 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी । दितीप पत्र आगली दिनांक को जवाब दाखिल की दिनांक 30-11-18 को रखे ।


05/11/18

30-11-18

आमितीरण उपस्थापित । प्रथम पत्र अधिवक्ता हाजरी दितीप पत्र क्रमांक 01,02 उपस्थित अन्य अधिवक्ता । दितीप पत्र

तिथि

पब को छोड़ से जवाब दाखिल किया गया। इकत वाद में 6 (छः) माह की अवधि छपी है। उसी के अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद में अगिलेरा की कारवाई बन्द की जाती है।

अक्षय
31/11/18

09

81-18